बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 136926 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 31-01-13

ग्रा०वि० - 10/बजट-33/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास विभाग मांग संख्या- 42 के अंतर्गत योजना / गैर योजना संबंधित सभी उप शीर्षों में आवश्यक व्यय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत है कि विभागीय मांग संख्या-42 के अंतर्गत विभिन्न उप शीर्षों (योजना / गैर योजना) में व्यय हेतु राशि आवंटित की गई है ताकि वर्ष के दौरान कभी भी राशि के अभाव में कोई आवश्यक कार्य बाधित न हो ।

इसके बावजूद यह देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम (मार्च) में उपलब्ध राशि को येन-केन-प्रकारेण खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और अनावश्यक/अनुपादक मदों में भी खर्च किया जाता है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि 15 फरवरी, 2013 तक सभी बकाये दायित्वों से संबंधित विपत्रों को पारित कराकर संबंधित कोषागार/उप कोषागार में अवश्य पारित करा लिया जाय । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गैर योजना मद में कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, सामग्रियों की आपूर्ति, मशीन एवं उपस्कर आदि मद में व्यय पर वित्त विभाग द्वारा प्राय: एक सीमा तक व्यय करने की रोक किसी समय लगा दी जा सकती है ।

अतएव तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि जो प्राय: मार्च के तृतीय सप्ताह में उपलब्ध करायी जाती है, उसे छोड़कर सभी प्रकार की उपबंधित राशि का व्यय 15 फरवरी, 2013 से पहले कर लिया जाना सुनिश्चित किया जाय । यदि राशि की निकासी नहीं होती है और लंबित दायित्व बना रहता है तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

उक्त निदेश की प्रति अपने अधीनस्थ प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित सभी संबंधितों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाय ।

विश्वासभाजन

30.1.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव